Part – I

A

न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम मामलात) **(सत्र न्यायाधीश) चूरू (राजस्थान)** **पीठासीन अधिकारी – सोनिका पुरोहित, R.J.S. (DJ Cadre)** निर्णय दिनांक – 18 अगस्त, 2026 विशेष सेशन प्रकरण संख्या – 46/2024 सीएनआर संख्या – RJCH010003852024 (प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या – 207/2023 पुलिस थाना भानीपुरा जिला चूरू)	
Complainant	राजस्थान राज्य
PRESENTED BY	श्री रोशन सिंह राठौड़, योग्य विशेष लोक अभियोजक चूरू
ACCUSED	1. सोनू उर्फ भगवानसिंह पुत्र दशरथ सिंह उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी राजासर पुलिस थाना सरदारशहर 2. विकास कुमार पुत्र कानाराम उम्र 21 वर्ष निवासी नाहरसर पुलिस थाना सरदारशहर 3. विजय भाटी उर्फ प्रिंस पुत्र पारस उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड नं. 29 तेलियों की मस्जिद के पास रतनगढ़ पीएस रतनगढ़ 4. सुनील पुत्र लीलूराम उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नं. 07 झिडू कॉलोनी तारानगर 5. नरेश कुमार पुत्र महावीर उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नं. 07 झिडू कॉलोनी तारानगर 6. अमित कुमार पुत्र लीलूराम उम्र 25 वर्ष निवासी भामासी पुलिस थाना दुधवाखारा 7. विक्रम पुत्र कृष्ण कुमार उम्र 19 वर्ष निवासी भामासी पुलिस थाना दुधवाखारा 8. मुकेश कुमार पुत्र कानाराम उम्र 25 वर्ष निवासी भामासी पुलिस थाना दुधवाखारा **(फौत)**
REPRESENTED BY	श्री सलीम खान, श्री नरेन्द्र शर्मा व श्री जगदीश प्रसाद कस्वाँ, विद्वान अधिवक्तागण – अभियुक्तगण की ओर से।

B

Date of Offence	03.10.2023
Date of FIR	03.10.2023
Date of Chargesheet	26.03.2024
Date of Framing of Charges	20.02.2025, 01.04.2025, 05.06.2025 व 16.12.2025
Date of commencement of evidence	24.03.2026
Date on which judgment is reserved	18.08.2026
Date of the Judgement	18.08.2026
Date of the Sentencing Order, if any	–

C: ACCUSED DETAILS

Rank of the Accused	Name of Accused	Date of Arrest	Date of release on bail	Offences charged with	Whether acquitted or convicted	Sentence imposed	Period of detention undergone during trial for purpose of Section 428 Cr.PC
1.	सोनू उर्फ भगवानसिंह	03.10.2023	05.10.2023	136 व 137 विद्युत अधिनियम	दोषमुक्त	–	03.10.2023 से 05.10.2023 तक
2.	विकास कुमार	03.10.2023	05.10.2023	136 विद्युत अधिनियम	दोषमुक्त	–	03.10.2023 से 05.10.2023 तक
3.	विजय भाटी उर्फ प्रिंस	03.10.2023	05.10.2023	136 विद्युत अधिनियम	दोषमुक्त	–	03.10.2023 से 05.10.2023 तक

4.	सुनील	03.10.2023 12.12.2025 (पुनः)	05.10.2023 15.12.2025 (पुनः)	136 विद्युत अधिनियम	दोषमुक्त	–	03.10.2023 से 05.10.2023 तक तथा 12.12.2025 से 15.12.2025 तक
5.	नरेश कुमार	03.10.2023	05.10.2023	136 विद्युत अधिनियम	दोषमुक्त	–	03.10.2023 से 05.10.2023 तक
6.	अमित कुमार	03.10.2023	05.10.2023	136 विद्युत अधिनियम	दोषमुक्त	–	03.10.2023 से 05.10.2023 तक
7.	विक्रम	03.10.2023	05.10.2023	136 विद्युत अधिनियम	दोषमुक्त	–	03.10.2023 से 05.10.2023 तक

PART–II
LIST OF PROSECUTION/DEFENCE/COURT WITNESSES

A. Prosecution

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
पी.डब्ल्यू.–1	दौलतराम	मालखाना में माल जमा करने से सम्बन्धित।
पी.डब्ल्यू.–2	विनोद कुमार	अभियुक्तगण की गिरफ्तारी एवं बरामदगी से सम्बन्धित।
पी.डब्ल्यू.–3	सुभाषचन्द्र	गिरफ्तारी, बरामदगी एवं जब्ती कार्यवाही से सम्बन्धित।
पी.डब्ल्यू.–4	गौरव खिड़िया	अनुसन्धान एवं आरोप–पत्र से सम्बन्धित।

B. Defence Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

C. Court Witnesses, If any:

Rank	Name	Nature of Evidence (Eye Witness, Police Witness, Expert Witness, Medical Witness, Panch Witness, Other Witness)
–	–	–

LIST OF PROSECUTION/DEFENSE/COURT EXHIBITS

A. Prosecution:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1	प्रदर्श पी–1	मूल मालखाना रजिस्टर
2.	प्रदर्श पी–1 ए	मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रतिलिपि
3.	प्रदर्श पी–2	फर्द बरामदगी
4.	प्रदर्श पी–3	सोनू उर्फ भगवानसिंह की फर्द गिरफ्तारी
5.	प्रदर्श पी–4	मुकेश कुमार की फर्द गिरफ्तारी
6.	प्रदर्श पी–5	विकास कुमार की फर्द गिरफ्तारी
7.	प्रदर्श पी–6	विजय भाटी उर्फ प्रिंस की फर्द गिरफ्तारी
8.	प्रदर्श पी–7	सुनील की फर्द गिरफ्तारी
9.	प्रदर्श पी–8	नरेश कुमार की फर्द गिरफ्तारी
10.	प्रदर्श पी–9	अमित कुमार की फर्द गिरफ्तारी

11.	प्रदर्श पी–10	विक्रम की फर्द गिरफ्तारी
12.	प्रदर्श पी–11	चाक एफआईआर
13.	प्रदर्श पी–12	नक्शा मौका
14.	प्रदर्श पी–12 ए	हालात मौका
15.	प्रदर्श पी–13	नक्शा मौका तस्दीक घटनास्थल
16.	प्रदर्श पी–13 ए	हालात मौका
17.	प्रदर्श पी–14 से पी–21	धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत अभियुक्तगण की इतलाएं

B. Defence:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
1.	प्रदर्श डी–1	विनोद कुमार का पुलिस बयान
2.	प्रदर्श डी–2	सुभाषचन्द्र का पुलिस बयान

C. Court Exhibits:

Sr. No.	Exhibit Number	Description
–	–	–

D. Material Objects:

Sr. No.	Material Object Number	Description
–	–	–

– निर्णय –

दिनांक – 18 अगस्त, 2026

(1) संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 03.10.2023 को श्री सुभाषचन्द्र हेड कानि. नं. 58 मय हमराही मुलाजमान सरकारी जीप से गश्त कर रहे थे। गश्त के दौरान सड़क आम बजरांगसर से साडासर की ओर जाते समय सूचना मिली कि कुछ व्यक्तियों द्वारा विद्युत विभाग की 400 के.वी. डबल सर्किट विद्युत लाइन के एल्यूमिनियम तार काटकर चोरी किए गए हैं तथा उक्त चोरी के तार पिकअप वाहन में भरकर ले जाए जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस दल द्वारा साडासर की ओर नाकाबन्दी की गई। इसी दौरान बजरांगसर की तरफ से एक बिना नम्बर की पिकअप गाड़ी आती दिखाई दी, जिसे पुलिस द्वारा रुकने का इशारा किया गया परन्तु चालक द्वारा वाहन को वापस घुमाने का प्रयास किया गया, जिस पर पुलिस दल ने पीछा कर वाहन को रुकवाया तथा उसमें सवार व्यक्तियों को काबू किया। पूछताछ में उन्होंने अपने नाम सोनू उर्फ भगवानसिंह, मुकेश कुमार, विकास कुमार, विजय भाटी उर्फ प्रिंस, सुनील, नरेश कुमार, अमित कुमार एवं विक्रम बताए। पिकअप वाहन की तलाशी लेने पर उसके डाले में 400 के.वी. डबल सर्किट विद्युत लाइन के एल्यूमिनियम तारों के 05 बण्डल, जिनका कुल वजन 04 क्विंटल 80 किलोग्राम पाया गया तथा तार काटने के लिए प्रयुक्त एक कटर भी बरामद हुआ। बरामद विद्युत तारों के सम्बन्ध में अभियुक्तगण कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके। पिकअप वाहन के निरीक्षण पर उसका चैसिस नम्बर MA1ZC4TTKP1F56346 तथा इंजन नम्बर TTP1F32224 पाया गया। पुलिस द्वारा बरामद तारों, कटर एवं पिकअप वाहन को विधिवत जब्त किया गया तथा अनुसन्धान के दौरान घटनास्थल का निरीक्षण, मौका नक्शा तैयार एवं सम्बन्धित गवाहों के बयान लिए गए। विद्युत विभाग से प्राप्त रिकॉर्ड एवं अन्य अनुसन्धान से बरामद तारों का 400 के.वी. डबल सर्किट विद्युत लाइन से सम्बन्धित होना तथा उन्हें काटकर चोरी किया जाना पाया गया। उक्त फर्द जप्ती के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 207/2023 जुर्म दफा 136 व 137 विद्युत अधिनियम में दर्ज कर दर्ज कर बाद अनुसन्धान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 136 व 137 भारतीय विद्युत अधिनियम में आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस प्रकरण में अभियुक्त मुकेश कुमार का देहान्त होने की रिपोर्ट पुलिस

थाना भानीपुरा की ओर से दिनांक 10.03.2025 को प्रस्तुत किए जाने पर दिनांक 01.04.2025 को उसके विरूद्ध कार्यवाही का अबेट किया गया तथा शेष अभियुक्तगण के विरूद्ध विचारण जारी रखा गया।

(2) बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्तगण विकास कुमार, विजय भाटी उर्फ प्रिंस, सुनील, नरेश कुमार, अमित कुमार एवं विक्रम को धारा 136 विद्युत अधिनियम का आरोप तथा अभियुक्त सोनू उर्फ भगवानसिंह को धारा 136 व 137 विद्युत अधिनियम का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्तगण ने अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

(3) अभियोजन पक्ष की तरफ से साक्ष्य अभियोजन में उपरोक्तानुसार पी.डब्ल्यू. 1 लगायत पी.डब्ल्यू. 4 साक्षीगण के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में प्रदर्श पी–1 लगायत प्रदर्श पी–21 पेश कर प्रदर्शित करवाए गए।

(4) अभियुक्तगण को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया। जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष होना कथन किया है तथा स्वयं को निर्दोष होना बताया है। अभियुक्तगण को बचाव साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया किन्तु उनकी ओर से कोई मौखिक साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई जबकि अभियोजन साक्ष्य के दौरान दो दस्तावेजात को प्रदर्शित करवाया गया।

(5) पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष हेतु न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय बिन्दु हैः–

1. **क्या अभियोजन यह सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्तगण सोनू उर्फ भगवानसिंह, विकास कुमार, विजय भाटी उर्फ प्रिंस, सुनील, नरेश कुमार, अमित कुमार एवं विक्रम ने दिनांक 03.10.2023 को लगभग 04:40 बजे या उसके आसपास सड़क आम बजरांगसर से साडासर रोही साडासर पर परिवादी निगम के स्वामित्व एवं आधिपत्य की 400 के.वी. डबल सर्किट विद्युत लाइन के कुल 04 क्विंटल 80 किलोग्राम एल्यूमिनियम के तार बिना परिवादी निगम की सहमति के चोरी कर ले जाकर धारा 136 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध कारित किया तथा अभियुक्त सोनू उर्फ भगवानसिंह ने उक्त चोरी किए गए विद्युत तारों को यह जानते हुए कि वे चोरी की सम्पत्ति हैं ?**

2. **यदि उक्त अपराध सन्देह से परे प्रमाणित होना पाये जो है तो अभियुक्तगण को किस प्रकार के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित होगा ?**

(6) इस सम्बन्ध में अभियोजन पक्ष की ओर से अभियुक्त पर लगाए गए आरोपों की सिद्धि के अनुक्रम में जिन गवाहान को न्यायालय में परीक्षित करवाया गया है उनकी साक्ष्य इस प्रकार से हैंः–

(7) गवाह पी.डब्ल्यू. 1 दौलतराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 03.10.2023 को गवाह पुलिस थाना भानीपुरा में मालखाना इंचार्ज के पद पर पदस्थापित था। उस दिन सुभाषचन्द्र एचसी द्वारा मुकदमा संख्या 207/2023 का वजह सबूत गवाह के समक्ष पेश किये जाने पर गवाह द्वारा उसे मालखाना रजिस्टर के क्रम संख्या 536 पर जमा मालखाना किया गया। गवाह द्वारा असल मालखाना रजिस्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जो प्रदर्श पी–1 है। प्रदर्श पी–1 की पत्रावली की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी–1 ए है। **जिरह** में गवाह ने स्वीकार किया कि अनुसन्धान अधिकारी ने इस प्रकरण में जब्तशुदा तारों को मालखाना से निकलवाकर विद्युत विभाग के किसी अधिकारी अथवा एस्टर कम्पनी के ठेकेदारों को बुलाकर उनकी पहचान या तस्दीक नहीं करवाई। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि मालखाना में उक्त तार जमा करवाने के समय कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी नहीं की गई थी।

(8) गवाह पी.डब्ल्यू. 2 विनोद कुमार ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 03.10.2023 को गवाह पुलिस थाना भानीपुरा में एफसी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन दोपहर 01.25 बजे सुभाषचन्द्र हेड कांस्टेबल के साथ गवाह, अनिल कुमार एवं भादाराम कांस्टेबल, सरकारी जीप चालक राजेन्द्र कुमार के साथ गश्त हेतु थाना से रवाना होकर बिल्यु बास, रामपुरा, बोगेरा एवं रायपुरा की तरफ गये। बजरांगसर से साढ़ासर की तरफ गश्त करते हुए समय 03.10 पीएम पर साढ़ासर के पास पहुँचने पर सुभाषचन्द्र हेड कांस्टेबल को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बिना नम्बर की पिकअप बिल्यु बास की तरफ से बजरांगसर की तरफ आ रही है, जिसमें हाईटेंशन लाइन के बिजली के तार भरे हुए हैं, जिसके आगे केबिन में तीन व्यक्ति तथा पीछे 3–4 लड़के खड़े हैं एवं पिकअप में भरे बिजली के तार के बण्डल चोरी के हो सकते हैं। इस सूचना से सुभाषचन्द्र हेड कांस्टेबल ने पुलिस जाब्ते को अवगत कराया तथा सूचना की तस्दीक हेतु बजरांगसर से साढ़ासर रोही साढ़ासर में नाकाबन्दी की गई। दौराने नाकाबन्दी समय 03.35 पीएम पर बजरांगसर की तरफ से एक पिकअप गाड़ी आई, जिसके चालक को गाड़ी रोकने का इशारा किया गया, किन्तु पुलिस को देखकर उसने पिकअप को वापस घुमाने का प्रयास

किया। इस पर पुलिस जाब्ते ने सरकारी जीप की सहायता से पिकअप को काबू कर चालक सीट पर बैठे व्यक्ति, उसके पास बैठे व्यक्ति तथा डाला में बैठे व्यक्तियों को काबू कर यथास्थिति बनाए रखने की हिदायत दी। सुभाषचन्द्र हेड कांस्टेबल द्वारा सभी व्यक्तियों से नाम–पता पूछने पर चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सोनू उर्फ भगवान सिंह, पास बैठे दूसरे व्यक्ति ने विकास कुमार तथा मुकेश कुमार होना बताया। पिकअप के डाला में खड़े व्यक्तियों ने अपने नाम विजय भाटी, सुनिल नायक, नरेश कुमार नायक, अमित कुमार एवं विक्रम बताये। सभी से डाला में पड़े विद्युत लाइन के तारों के सम्बन्ध में पूछने पर उन्होंने उक्त तार रोही बिल्यु बास रामपुरा से विद्युत लाइन के टावरों से चोरी करना बताया। सुभाषचन्द्र हेड कांस्टेबल द्वारा सभी से परमिट एवं लाइसेंस के सम्बन्ध में पूछने पर किसी ने भी परमिट या लाइसेंस होना नहीं बताया। आसपास से स्वतन्त्र मौतबीर बनाने का प्रयास किया गया, किन्तु कोई तैयार नहीं हुआ। इस पर सुभाषचन्द्र हेड कांस्टेबल ने गवाह एवं अनिल कुमार को मौतबीर बनाकर बिना नम्बर की पिकअप को पुलिस कब्जे में लिया। जांच करने पर बोलेरो पिकअप के डाला में भरे विद्युत लाइन के तारों के पाँच बण्डल मिले, जिन्हें नीचे उतारकर इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौलने पर कुल वजन 4 क्विंटल 80 किलोग्राम पाया गया। वजन करने के बाद उन्हें पुनः पिकअप में रखवाया गया। पिकअप के केबिन में कोई कागजात नहीं मिले तथा चालक सीट के पीछे तार काटने का एक लोहे का कटर मिला, जिसे पुलिस कब्जे में लिया गया। फर्द बरामदगी 400 केवी डबल सर्किट विद्युत लाइन के एल्युमिनियम के तारों के कुल पाँच बण्डल, जिनका वजन 4 क्विंटल 80 किलोग्राम, एक बिना नम्बर की बोलेरो गाड़ी एवं तार काटने का कटर, अज्ञात मुलजिमान सोनू उर्फ भगवान सिंह, मुकेश कुमार, विकास कुमार, विजय भाटी उर्फ प्रिंस, सुनिल, नरेश कुमार, अमित कुमार एवं विक्रम प्रदर्श पी–2 है। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सोनू उर्फ भगवान सिंह प्रदर्श पी–3, मुलजिम मुकेश कुमार प्रदर्श पी–4, मुलजिम विकास कुमार प्रदर्श पी–5, मुलजिम विजय भाटी उर्फ प्रिंस प्रदर्श पी–6, मुलजिम सुनिल प्रदर्श पी–7, मुलजिम नरेश कुमार प्रदर्श पी–8, मुलजिम अमित कुमार प्रदर्श पी–9 तथा मुलजिम विक्रम प्रदर्श पी–10 हैं। तत्पश्चात गिरफ्तारशुदा मुलजिमान एवं पिकअप गाड़ी मय विद्युत तार के बण्डल तथा कटर को थाना लाया गया। जिरह में इस गवाह ने कहा है कि उसने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 में ए से बी भाग में ''पिकअप..........खड़े हैं'' में डाले में चार व्यक्तियों के खड़े होने की बात गलत होना बताते हुए आज स्वयं पांच व्यक्तियों के खड़े होने की बात कही। गवाह ने प्रदर्श डी–1 के सी से डी भाग में ''पिकअप............किया गया'' में चार बण्डलों का वजन करना गलत लिखा होना बताते हुए आज स्वयं कुल पांच बण्डलों का वजन किया जाना बताया। गवाह ने कहा कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 में आरोपीगण के जो पूर्ण पते लिखाये गये हैं, वे वह आज नहीं बता सकता। गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी–1 में पिकअप में तारों के पांच बण्डल भरा होना तथा वजन चार बण्डलों का किया जाना अंकित होना बताते हुए आज स्वयं सभी पांचों बण्डलों का वजन किया जाना बताया। गवाह ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 में सी से डी भाग ''पिकअप में...........खड़े हैं'' में भी डाला में चार व्यक्तियों का खड़ा होना अंकित होना बताते हुए आज स्वयं पांच व्यक्तियों के खड़े होने की बात कही और उक्त अंकन को गलत बताया। गवाह ने प्रदर्श पी–2 में ई से एफ भाग ''बोलेरो पिकअप...........वजन है'' में चार बण्डल तारों का वजन करना गलत लिखा होना बताया। गवाह ने स्वीकार किया कि तारों के बण्डलों का अलग–अलग वजन नहीं किया गया था, इसलिए वह नहीं बता सकता कि कौनसे बण्डल का कितना वजन था। गवाह ने स्वीकार किया कि विद्युत विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारी को मौके पर बुलाकर उसके सामने विद्युत तारों की कोई तस्दीक या शिनाख्तगी नहीं करवाई गई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि विद्युत विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा इस जब्ती बाबत् कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया था। गवाह ने कहा कि मौके पर खेत मालिकों व पड़ौसियों से खेत बाबत् कोई तस्दीक नहीं करवाई गई थी। गवाह ने कहा कि वह पहले से किसी मुलजिम को नहीं जानता था। गवाह ने स्वीकार किया कि तार काटने का जो कट्टर वह बता रहा है, उसको मौके पर सील मोहर नहीं किया गया था और ना ही उसकी जब्ती की फर्द अलग से तैयार की गई थी। गवाह ने कहा कि उक्त कट्टर पर पहचान बाबत् क्या अंकित था, उसे आज याद नहीं है। गवाह ने इस बात से इन्कार किया कि वह मौके पर नहीं गया था और फर्दात पर हस्ताक्षर थाने पर किए थे।

(9) गवाह पी.डब्ल्यू. 3 सुभाषचन्द्र ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 03.10.2023 को गवाह पुलिस थाना भानीपुरा में हेड कांस्टेबल के पद पर पदस्थापित था। उस दिन समय 01.25 पीएम पर गवाह, विनोद कुमार कांस्टेबल, अनिल कुमार कांस्टेबल एवं भादाराम कांस्टेबल, सरकारी जीप

चालक राजेन्द्र कुमार के साथ गश्त हेतु थाना से रवाना होकर बिल्यु बास, रामपुरा, बोगेरा एवं रायपुरा की तरफ गये। बजरांगसर से साढ़ासर की तरफ गश्त करते हुए समय 03.10 पीएम पर साढ़ासर के पास पहुंचने पर गवाह को मुखबिर से सूचना मिली कि एक बिना नम्बर की पिकअप बिल्यु बास की तरफ से बजरांगसर की तरफ आ रही है, जिसमें हाईटेंशन लाइन के बिजली के तार भरे हुए हैं तथा उसके आगे केबिन में तीन व्यक्ति एवं पीछे डाला में 3–4 लड़के खड़े हैं और पिकअप में भरे बिजली के तार के बण्डल चोरी के हो सकते हैं। मुखबिर की उक्त सूचना से गवाह ने हमराही मुलाजमानों को अवगत कराया तथा सूचना की तस्दीक हेतु बजरांगसर से साढ़ासर रोही साढ़ासर में नाकाबन्दी प्रारम्भ की गई। दौराने नाकाबन्दी समय 03.35 पीएम पर बजरांगसर की तरफ से एक पिकअप गाड़ी आई, जिसके चालक को गाड़ी रोकने का इशारा किया गया, किन्तु पुलिस को देखकर उसने पिकअप को वापस घुमाने का प्रयास किया। इस पर पुलिस जाब्ते ने सरकारी जीप की सहायता से पिकअप को काबू कर चालक सीट पर बैठे व्यक्ति, उसके पास बैठे व्यक्ति तथा डाला में बैठे व्यक्तियों को काबू में कर यथास्थिति बनाए रखने की हिदायत दी। गवाह द्वारा सभी व्यक्तियों से नाम–पता पूछने पर चालक सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सोनू उर्फ भगवान सिंह, पास बैठे व्यक्तियों ने अपने नाम विकास कुमार एवं मुकेश कुमार बताए तथा पिकअप के डाला में खड़े पाँच व्यक्तियों ने अपने नाम विजय भाटी, सुनिल नायक, नरेश कुमार नायक, अमित कुमार एवं विक्रम बताए। सभी आठों व्यक्तियों से डाला में पड़े विद्युत लाइन के तारों के सम्बन्ध में पूछने पर उन्होंने उक्त विद्युत तार रोही बिल्यु बास रामपुरा से विद्युत लाइन के टावरों से चोरी करना बताया। गवाह द्वारा उनसे विद्युत तारों के सम्बन्ध में परमिट एवं लाइसेंस के बारे में पूछने पर किसी ने भी परमिट या लाइसेंस होना नहीं बताया। आसपास से स्वतन्त्र मौतबीर तलब करने का प्रयास किया गया, किन्तु कोई तैयार नहीं हुआ। इस पर गवाह द्वारा विनोद कुमार एवं अनिल कुमार को मौतबीर बनाकर बिना नम्बर की पिकअप को पुलिस कब्जे में लिया गया। जांच करने पर बोलेरो पिकअप के डाला में भरे विद्युत लाइन के तारों के कुल पाँच बण्डल मिले, जिन्हें नीचे उतारकर इलेक्ट्रॉनिक कांटे से तौलने पर कुल वजन 4 क्विंटल 80 किलोग्राम पाया गया। वजन करने के पश्चात उन्हें पुनः पिकअप में रखवाया गया। पिकअप के केबिन में कोई कागजात नहीं मिले तथा चालक सीट के पीछे तार काटने का एक लोहे का कटर मिला, जिसे पुलिस कब्जे में लिया गया। फर्द बरामदगी 400 केवी डबल सर्किट विद्युत लाइन के एल्युमिनियम के तारों के कुल पाँच बण्डल, जिनका वजन 4 क्विंटल 80 किलोग्राम, एक बिना नम्बर की बोलेरो गाड़ी मय तार काटने का कटर, अज्ञात मुलजिमान सोनू उर्फ भगवान सिंह, मुकेश कुमार, विकास कुमार, विजय भाटी उर्फ प्रिंस, सुनिल, नरेश कुमार, अमित कुमार एवं विक्रम प्रदर्श पी–2 है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–11 है। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम सोनू उर्फ भगवान सिंह प्रदर्श पी–3, मुलजिम मुकेश कुमार प्रदर्श पी–4, मुलजिम विकास कुमार प्रदर्श पी–5, मुलजिम विजय भाटी उर्फ प्रिंस प्रदर्श पी–6, मुलजिम सुनिल प्रदर्श पी–7, मुलजिम नरेश कुमार प्रदर्श पी–8, मुलजिम अमित कुमार प्रदर्श पी–9 तथा मुलजिम विक्रम प्रदर्श पी–10 हैं। तत्पश्चात गिरफ्तारशुदा मुलजिमान एवं पिकअप गाड़ी मय विद्युत तार के बण्डल तथा कटर को थाना लाया गया एवं वजह सबूत मालखाना में जमा करवाया गया। घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–12 गवाह के समक्ष बनाया गया। नक्शा मौका तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी–13 है। **जिरह** में गवाह ने स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–2 पर नमूना सील मोहर अंकित नहीं है। गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी–2 में ए से बी भाग में ''पिकअप..........खड़े हैं'' में डाले में चार व्यक्तियों के खड़े होने की बात गलत होना बताते हुए आज स्वयं पांच व्यक्तियों के खड़े होने की बात कही। गवाह ने प्रदर्श डी–2 के सी से डी भाग में ''पिकअप............किया गया'' में चार बण्डलों का वजन किया जाना गलत लिखा होना बताते हुए आज स्वयं कुल पांच बण्डलों का वजन किया जाना बताया। गवाह ने कहा कि उसके पुलिस बयान प्रदर्श डी–2 में आरोपीगण के जो पूर्ण पते लिखाये गये हैं, वे वह आज नहीं बता सकता। गवाह ने अपने पुलिस बयान प्रदर्श डी–2 में पिकअप में तारों के पांच बण्डल भरा होना तथा वजन चार बण्डलों का किया जाना अंकित होना बताते हुए आज स्वयं सभी पांचों बण्डलों का वजन किया जाना बताया। गवाह ने फर्द जब्ती प्रदर्श पी–2 में सी से डी भाग ''पिकअप में...........खड़े हैं'' में भी डाला में चार व्यक्तियों का खड़ा होना अंकित होना बताते हुए आज स्वयं उक्त अंकन को गलत बताते हुए पांच व्यक्तियों के खड़े होने की बात कही। गवाह ने प्रदर्श पी–2 में ई से एफ भाग ''बोलेरो पिकअप...........वजन है'' में चार बण्डल तारों का वजन करना गलत लिखा होना बताया। गवाह ने स्वीकार किया कि तारों के बण्डलों का अलग–अलग वजन नहीं किया गया था, इसलिए वह नहीं बता सकता कि कौनसे बण्डल का कितना

वजन था। गवाह ने स्वीकार किया कि विद्युत विभाग के किसी कर्मचारी या अधिकारी को मौके पर बुलाकर उसके द्वारा विद्युत तारों की कोई तस्दीक या शिनाख्तगी नहीं करवाई गई थी। गवाह ने स्वीकार किया कि विद्युत विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा इस जब्ती बाबत् कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया गया था। गवाह ने कहा कि मौके पर खेत मालिकों व पड़ौसियों से खेत बाबत् कोई तस्दीक नहीं करवाई गई थी। गवाह ने कहा कि वह पहले से किसी मुलजिम को नहीं जानता था। गवाह ने स्वीकार किया कि तार काटने का जो कट्टर वह बरामद होना बता रहा है, उसको मौके पर सील मोहर नहीं किया गया था और ना ही उसकी जब्ती की फर्द अलग से तैयार की गई थी। गवाह ने कहा कि उक्त कट्टर पर पहचान बाबत् क्या अंकित था, उसे आज याद नहीं है। गवाह ने कहा कि वह बरामद तारों की मोटाई, लम्बाई व कम्पनी का नाम नहीं बता सकता।

(10) गवाह पी.डब्ल्यू. 4 गौरव खिड़िया ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि दिनांक 03.10.2023 को गवाह पुलिस थाना भानीपुरा में थानाधिकारी के पद पर पदस्थापित था। उस दिन सुभाषचन्द्र हेड कांस्टेबल द्वारा फर्द बरामदगी 400 केवी विद्युत लाइन के एल्युमिनियम के तारों के 5 बण्डल, एक बिना नम्बर की बोलेरो एवं तार काटने का एक कटर, अज्ञात मुलजिमान सोनू उर्फ भगवान सिंह, मुकेश कुमार, विकास कुमार, विजय भाटी उर्फ प्रिंस, सुनिल, नरेश कुमार, अमित कुमार एवं विक्रम सम्बन्धी प्रदर्श पी–2 थाना पर लाकर गवाह के समक्ष पेश किया गया। उक्त फर्द पर एफआईआर प्रदर्श पी–11 चाक की गई। प्रदर्श पी–2 के साथ फर्दात प्रदर्श पी–3 से प्रदर्श पी–10 भी पेश किये गये। प्रकरण का अनुसन्धान गवाह द्वारा प्रारम्भ किया गया तथा घटना स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–12 बनाया गया। हालात मौका प्रदर्श पी–12 ए है। गिरफ्तारशुदा मुलजिमान द्वारा धारा 27 साक्ष्य अधिनियम के अन्तर्गत इतला मुलजिम सोनू उर्फ भगवान सिंह प्रदर्श पी–14, मुलजिम मुकेश कुमार प्रदर्श पी–15, मुलजिम विकास कुमार प्रदर्श पी–16, मुलजिम विजय भाटी उर्फ प्रिंस प्रदर्श पी–17, मुलजिम सुनिल प्रदर्श पी–18, मुलजिम नरेश कुमार प्रदर्श पी–19, मुलजिम अमित कुमार प्रदर्श पी–20 तथा मुलजिम विक्रम प्रदर्श पी–21 दी गई। उक्त इतला प्रदर्श पी–14 से प्रदर्श पी–21 के अनुसार बताया गया कि बिल्यु बास रामपुरा की रोही में जिस स्थान से विद्युत तार काटकर चोरी किये गये तथा बण्डल बनाकर सोनू उर्फ भगवान सिंह की पिकअप में भरकर लाये गये, वह स्थान साथ चलकर बता सकते हैं। नक्शा मौका तस्दीक घटना स्थल प्रदर्श पी–13 है तथा उसका हालात मौका प्रदर्श पी–13 ए है। दौराने अनुसन्धान गवाह द्वारा गवाहान विनोद कुमार, अनिल, भादाराम एवं सुभाषचन्द्र के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये। बाद अनुसन्धान मुलजिमान सोनू उर्फ भगवान सिंह, मुकेश कुमार, विकास कुमार, विजय भाटी उर्फ प्रिंस, सुनिल, नरेश कुमार, अमित कुमार एवं विक्रम के विरुद्ध धारा 136 एवं 137 भारतीय विद्युत अधिनियम का अपराध प्रमाणित पाया जाकर गवाह द्वारा न्यायालय में चार्जशीट प्रस्तुत की गई। **जिरह** में इस गवाह ने कहा कि उसके अनुसन्धान में किसी साक्षी द्वारा मुलजिमान को तार काटते हुए देखना नहीं आया था। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके अनुसन्धान के दौरान उसने खेत मालिक व उनके पड़ौसियान से कोई पूछताछ नहीं की और ना ही उनके बयान लेखबद्ध किए गए। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा पटवारी हल्का व सरपंच आदि से घटना स्थल की कोई तस्दीक नहीं करवाई गई। गवाह ने स्वीकार किया कि उसके द्वारा विद्युत विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी को बुलाकर तारों की कोई तस्दीक नहीं करवाई गई थी और ना ही विद्युत विभाग से तारों की खरीद का कोई रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। गवाह ने कहा कि उसके द्वारा अनुसन्धान के दौरान तारों के प्रत्येक बण्डलों का अलग–अलग वजन नहीं किया गया। गवाह ने स्वीकार किया कि जब्तशुदा कट्टर सील मोहर नहीं था।

<u>विचारणीय प्रश्न संख्या – एक</u>

(11) विचारणीय प्रश्न संख्या एक के सन्दर्भ में बहस अन्तिम सुनी गई। विद्वान विशेष लोक अभियोजक ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन साक्ष्य से अभियुक्तगण का घटना में संलिप्त होना प्रमाणित है। पी.डब्ल्यू.–2 विनोद कुमार एवं पी.डब्ल्यू.–3 सुभाषचन्द्र ने अभियुक्तगण को बिना नम्बर की पिकअप में 400 के.वी. डबल सर्किट विद्युत लाइन के एल्यूमिनियम तारों के पाँच बण्डलों सहित पकड़े जाने तथा तारों का कुल वजन 04 क्विंटल 80 किलोग्राम होने के सम्बन्ध में स्पष्ट कथन किया है। अभियुक्तगण तारों के सम्बन्ध में कोई परमिट अथवा लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके तथा मौके से तार काटने का कटर भी बरामद हुआ। अभियोजन साक्षियों के कथनों एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 136

व 137 विद्युत अधिनियम का आरोप भी प्रमाणित है। अतः अभियुक्तगण को दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया गया।

(12) इसके विपरीत, विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण ने तर्क प्रस्तुत किया कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध आरोपों को सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियोजन की कहानी का आधार कथित बरामदगी है, किन्तु स्वयं अभियोजन साक्ष्य में बरामदगी एवं कथित चोरी के तारों के सम्बन्ध में गंभीर त्रुटियाँ एवं विरोधाभास हैं। पी.डब्ल्यू.–2 एवं पी.डब्ल्यू.–3 के कथनों में पिकअप में बैठे व्यक्तियों की संख्या तथा तारों के बण्डलों के वजन के सम्बन्ध में विरोधाभास है तथा दोनों गवाहों ने अपने पूर्व कथनों में अंकित तथ्यों को गलत बताया है। तारों के बण्डलों का अलग –अलग वजन भी नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट नहीं है कि कौनसे बण्डल का कितना वजन था। यह भी तर्क दिया कि प्रदर्श पी–12 नक्शा मौका पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं तथा नक्शा मौका से यह भी प्रमाणित नहीं होता कि उक्त स्थान से विद्युत तार काटकर चोरी किए गए और बरामद तार वहीं से चोरी किए गए तार हैं। अभियोजन द्वारा बरामद तारों की लम्बाई एवं मोटाई का कोई माप नहीं लिया गया और न ही उनका घटनास्थल पर लगे खम्भों की लम्बाई, दूरी अथवा विद्युत लाइन के अन्य विवरण से कोई मिलान किया गया। यह भी प्रमाणित नहीं किया गया कि घटनास्थल से जितने मीटर तार चोरी होना कथित है, उतनी ही लम्बाई के तार वास्तव में बरामद हुए हैं। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई विद्युत विभागीय रिकॅार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि घटना के समय वास्तव में उक्त विद्युत लाइन से तार चोरी हुए थे अथवा बरामद तार उसी लाइन के थे। बरामद तारों का किसी विभागीय रिकॅार्ड से कोई मिलान नहीं कराया गया तथा विद्युत विभाग के किसी अधिकारी या कर्मचारी से उनकी पहचान या तस्दीक भी नहीं करवाई गई। यह भी तर्क दिया कि कथित कटर की बरामदगी भी स्पष्ट एवं विश्वसनीय रूप से प्रमाणित नहीं है। कटर को मौके पर सील मोहर नहीं किया गया तथा उसकी पृथक जब्ती फर्द भी तैयार नहीं की गई। स्वयं अनुसन्धान अधिकारी ने स्वीकार किया है कि जब्तशुदा कटर सील मोहरबंद नहीं था। इसी प्रकार कथित बरामद तारों पर भी ऐसी कोई विश्वसनीय पहचान या सील सम्बन्धी प्रक्रिया नहीं अपनाई गई, जिससे बाद में न्यायालय में प्रस्तुत माल को वही माल माना जा सके जो मौके से कथित रूप से बरामद हुआ था। यह भी बहस रही है कि जिस विद्युत विभाग अथवा कम्पनी के तार होना बताया जा रहा है, उसकी ओर से तारों की चोरी की कोई रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। विद्युत विभाग के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को मौके पर बुलाकर तारों की पहचान या तस्दीक नहीं करवाई गई तथा विद्युत विभाग से तारों की खरीद अथवा उनके स्वामित्व सम्बन्धी कोई रिकॅार्ड भी प्राप्त नहीं किया गया। अनुसन्धान अधिकारी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके अनुसन्धान में किसी साक्षी द्वारा अभियुक्तगण को तार काटते हुए देखना सामने नहीं आया। खेत मालिकों, पड़ौसियों, पटवारी अथवा सरपंच से भी कोई पूछताछ या तस्दीक नहीं करवाई गई। अतः अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वास्तव में कोई विद्युत तार चोरी हुए थे, कि कथित रूप से बरामद तार वही चोरी किए गए तार थे अथवा अभियुक्तगण द्वारा उक्त तार चोरी किए गए थे। बरामदगी की स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय पुष्टि नहीं होने, तारों की पहचान एवं रिकॅार्ड से मिलान नहीं होने तथा अभियोजन साक्ष्य में महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं त्रुटियाँ होने के कारण अभियुक्तगण को सन्देह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया गया।

(13) बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 136 विद्युत अधिनियम तथा अभियुक्त सोनू उर्फ भगवानसिंह के विरुद्ध धारा 137 विद्युत अधिनियम के आरोप लगाए गए हैं। धारा 136 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अभियोजन को यह प्रमाणित करना आवश्यक है कि कथित विद्युत लाइन अथवा सामग्री ऐसी थी जो किसी लाइसेंसी अथवा स्वामी की थी और उसे उसकी सहमति के बिना काटा, हटाया, ले जाया, रखा अथवा परिवहन किया गया तथा अभियुक्त का उक्त कृत्य से ऐसा सम्बन्ध था जो अपराध के आवश्यक तत्वों को स्थापित करता हो। धारा 137 के लिए यह भी प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि प्राप्त की गई सामग्री चोरी की थी तथा अभियुक्त ने उसे चोरी की सम्पत्ति जानते हुए अथवा ऐसा मानने का कारण होते हुए बेईमानी से प्राप्त किया था। वर्तमान प्रकरण में अभियोजन का मूल आधार पिकअप वाहन से विद्युत तारों के पाँच बण्डलों की कथित बरामदगी है। पी.डब्ल्यू.–2 विनोद कुमार एवं पी.डब्ल्यू.–3 सुभाषचन्द्र ने पिकअप के डाले से पाँच बण्डल विद्युत तार बरामद होना तथा उनका कुल वजन 04 क्विंटल 80

किलोग्राम होना बताया है। तथापि, इन दोनों गवाहों के पूर्व कथनों एवं न्यायालय में दिए गए कथनों के मध्य महत्वपूर्ण असंगति सामने आई है। दोनों गवाहों ने अपने पुलिस बयानों तथा फर्द जब्ती में डाले में खड़े व्यक्तियों की संख्या एवं तारों के बण्डलों के वजन के सम्बन्ध में अंकित बातों को गलत बताया है। विशेष रूप से, गवाहों ने यह स्वीकार किया है कि तारों के बण्डलों का अलग–अलग वजन नहीं किया गया था और इसलिए यह नहीं बताया जा सकता कि कौनसे बण्डल का कितना वजन था। इससे कथित बरामद माल की विशिष्ट पहचान के सम्बन्ध में अभियोजन साक्ष्य कमजोर होता है।

(14) इससे भी महत्वपूर्ण यह है कि अभियोजन यह विश्वसनीय रूप से स्थापित नहीं कर सका कि पिकअप से बरामद तार वही तार थे जो किसी 400 के.वी. डबल सर्किट विद्युत लाइन से काटकर चोरी किए गए थे। पी.डब्ल्यू.–1 ने स्वीकार किया कि जब्तशुदा तारों को मालखाना से निकलवाकर विद्युत विभाग के किसी अधिकारी अथवा एस्टर कम्पनी के ठेकेदारों को बुलाकर उनकी पहचान अथवा तस्दीक नहीं करवाई गई तथा मालखाना में तार जमा करवाते समय कोई फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी भी नहीं की गई। पी.डब्ल्यू.–2 एवं पी.डब्ल्यू.–3 ने भी स्वीकार किया कि मौके पर विद्युत विभाग के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को बुलाकर बरामद तारों की कोई तस्दीक अथवा शिनाख्तगी नहीं करवाई गई। अभियोजन द्वारा कथित चोरी के तारों की लम्बाई, मोटाई अथवा अन्य कोई विशिष्ट पहचान अंकित नहीं की गई। यह भी प्रमाणित नहीं हुआ कि घटनास्थल पर विद्युत लाइन के खम्भों के मध्य दूरी अथवा विद्युत लाइन से सम्बन्धित किसी माप का निर्धारण किया गया हो और उसके आधार पर यह मिलान किया गया हो कि घटनास्थल से जितनी मात्रा अथवा लम्बाई के तार चोरी होने का आरोप है, उतनी ही मात्रा अथवा लम्बाई के तार अभियुक्तगण के कब्जे से बरामद हुए। बरामद तारों का विद्युत विभाग के किसी रिकॉर्ड से भी कोई मिलान नहीं कराया गया। ऐसी स्थिति में केवल यह तथ्य कि पिकअप में कुछ विद्युत तार पाए गए, अपने आप में यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि वे उसी विद्युत लाइन से काटकर चोरी किए गए तार थे, जैसा अभियोजन द्वारा आरोपित किया गया है।

(15) अभियोजन साक्ष्य में यह भी सामने आया है कि कथित घटना से पूर्व अथवा पश्चात् विद्युत विभाग की ओर से ऐसा कोई रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह प्रमाणित हो कि सम्बन्धित विद्युत लाइन से तार वास्तव में काटे अथवा चोरी किए गए थे। विद्युत विभाग के किसी अधिकारी अथवा कर्मचारी को मौके पर बुलाकर बरामद तारों की पहचान नहीं करवाई गई और न ही विद्युत विभाग से तारों की खरीद अथवा स्वामित्व सम्बन्धी कोई रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। पी.डब्ल्यू.–4 अनुसन्धान अधिकारी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उसके अनुसन्धान में किसी साक्षी द्वारा अभियुक्तगण को तार काटते हुए देखना सामने नहीं आया था। उसने खेत मालिकों एवं पड़ौसियों से कोई पूछताछ नहीं की और न ही उनके बयान लेखबद्ध किए। पटवारी हल्का अथवा सरपंच आदि से भी घटनास्थल की कोई तस्दीक नहीं करवाई गई।

(16) इस प्रकार अभियोजन साक्ष्य में ऐसा कोई प्रत्यक्ष साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह प्रमाणित हो कि अभियुक्तगण ने विद्युत लाइन से तार काटे अथवा उन्हें घटनास्थल से हटाया। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत परिस्थितिजन्य साक्ष्य की कड़ी भी पूर्ण नहीं है। केवल कथित बरामदगी के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वही तार चोरी की घटना में काटे गए थे, जब उन तारों की पहचान एवं उनके स्रोत की स्वतन्त्र पुष्टि अभियोजन द्वारा नहीं की गई है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में प्रत्येक महत्वपूर्ण परिस्थिति को विश्वसनीय साक्ष्य से सिद्ध होना और सिद्ध परिस्थितियों की ऐसी पूर्ण श्रृंखला बनना आवश्यक है जो अभियुक्त के दोष के अतिरिक्त अन्य उचित सम्भावना को समाप्त करे। यदि परिस्थितियां निर्दोषता की सम्भावना के साथ भी संगत हों अथवा अभियोजन की कहानी के सम्बन्ध में युक्तियुक्त सन्देह उत्पन्न करें तो उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना आवश्यक है।

(17) कथित कटर की बरामदगी भी अभियोजन के मामले को अपेक्षित स्तर तक पुष्ट नहीं करती। पी.डब्ल्यू.–2 एवं पी.डब्ल्यू.–3 द्वारा कटर बरामद होना बताया गया है, किन्तु पी.डब्ल्यू.–3 ने स्वीकार किया कि कथित कटर पर मौके पर सील मोहर नहीं की गई थी तथा उसकी पृथक जब्ती फर्द भी तैयार नहीं की गई थी। अनुसन्धान अधिकारी पी.डब्ल्यू.–4 ने भी स्वीकार किया कि जब्तशुदा कटर सील मोहरबंद नहीं था। कटर की कोई विशिष्ट पहचान भी अभियोजन साक्ष्य से स्थापित नहीं हुई है। अतः मात्र कटर की कथित बरामदगी से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि उसी कटर से अभियुक्तगण द्वारा कथित विद्युत तार काटे गए थे। इसी प्रकार प्रदर्श पी–12 नक्शा मौका भी अभियोजन के कथन को उस सीमा

तक पुष्ट नहीं करता कि नक्शे में दर्शाए गए स्थान से ही कथित विद्युत तार काटकर ले जाए गए थे। बचाव पक्ष द्वारा इंगित किया गया है कि प्रदर्श पी–12 नक्शा मौका पर किसी गवाह के हस्ताक्षर नहीं हैं। यद्यपि मात्र इस आधार पर नक्शा मौका को अस्वीकार करना आवश्यक नहीं है, तथापि जब घटनास्थल से कथित चोरी के तारों की बरामदगी, तारों की लम्बाई अथवा अन्य विशिष्ट पहचान का मिलान तथा विद्युत विभाग द्वारा घटनास्थल की स्वतन्त्र तस्दीक भी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है, तब नक्शा मौका अभियोजन की उस महत्वपूर्ण त्रुटी को दूर नहीं करता।

(18) अभियोजन के मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण त्रुटी यह भी है कि जिस विद्युत विभाग अथवा कम्पनी के स्वामित्व के तार होना बताया गया है, उसकी ओर से किसी सक्षम अधिकारी को न्यायालय में परीक्षित नहीं करवाया गया, जो बरामद तारों की पहचान कर यह स्पष्ट रूप से बता सके कि वे उसी विद्युत लाइन के तार हैं तथा उक्त लाइन से कितनी लम्बाई अथवा कितनी मात्रा में तार चोरी हुए थे। अभियोजन द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे बरामद तारों का कथित विद्युत लाइन से प्रत्यक्ष सम्बन्ध स्थापित हो सके। फलतः बरामद माल और कथित चोरी की घटना के मध्य आवश्यक कड़ी प्रमाणित नहीं होती।

(19) अभियोजन साक्ष्य का समग्र मूल्यांकन करने पर यह भी सामने आता है कि अभियुक्तगण को तार काटते हुए देखने वाला कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। अनुसन्धान अधिकारी ने स्वयं इस तथ्य को स्वीकार किया है। खेत मालिकों, पड़ौसियों, पटवारी एवं सरपंच आदि से तस्दीक नहीं करवाई गई। विद्युत विभाग के अधिकारी अथवा कर्मचारी से तारों की पहचान नहीं करवाई गई। तारों की विशिष्ट लम्बाई अथवा मोटाई का मिलान नहीं किया गया। कथित चोरी की घटना के सम्बन्ध में ऐसा स्वतन्त्र रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किया गया जिससे यह निश्चित हो कि सम्बन्धित विद्युत लाइन से वास्तव में वही तार चोरी हुए थे। इन परिस्थितियों में अभियोजन का मामला मुख्यतः कथित बरामदगी पर निर्भर रह जाता है, जबकि स्वयं बरामद माल की पहचान और उसके चोरी की घटना से सम्बन्ध की कड़ी पर्याप्त रूप से स्थापित नहीं हुई है। अभियोजन द्वारा यह भी स्थापित नहीं किया गया कि अभियुक्त सोनू उर्फ भगवानसिंह के कब्जे से प्राप्त कथित तारों के सम्बन्ध में उसे यह ज्ञान था कि वे चोरी की सम्पत्ति हैं अथवा उसके पास ऐसा मानने का कोई कारण था। धारा 137 विद्युत अधिनियम के लिए चोरी की सम्पत्ति होने तथा उसके सम्बन्ध में अभियुक्त के ज्ञान अथवा विश्वास का प्रमाणित होना आवश्यक है। जब अभियोजन ही यह सन्देह से परे प्रमाणित नहीं कर सका कि बरामद तार वही चोरी किए गए विद्युत तार थे, तब अभियुक्त सोनू के विरुद्ध धारा 137 के आवश्यक तत्व भी प्रमाणित नहीं माने जा सकते। यह सही है कि किसी मामले में प्रत्येक अन्वेषणात्मक त्रुटी अपने आप में अभियोजन के मामले को विफल नहीं करती तथा केवल स्वतन्त्र गवाह उपलब्ध न होना भी सदैव अभियुक्त को दोषमुक्त करने का आधार नहीं होता। किन्तु वर्तमान प्रकरण में त्रुटियाँ पृथक–पृथक नहीं बल्कि एक–दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। यहां न तो कथित चोरी का स्वतन्त्र एवं विश्वसनीय प्रमाण उपलब्ध है, न कथित चोरी के तारों की पहचान स्थापित है, न बरामद तारों का विद्युत विभागीय रिकॉर्ड से मिलान है, न घटनास्थल से चोरी हुई तारों की मात्रा अथवा लम्बाई का बरामद तारों से मिलान है और न ही कोई प्रत्यक्षदर्शी है जिसने अभियुक्तगण को तार काटते हुए देखा हो। इसके अतिरिक्त बरामदगी सम्बन्धी गवाहों के कथनों में भी महत्वपूर्ण विरोधाभास सामने आए हैं।

(20) अतः उपरोक्त समस्त मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के समग्र मूल्यांकन से अभियोजन यह सन्देह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है कि अभियुक्तगण सोनू उर्फ भगवानसिंह, मुकेश कुमार, विकास कुमार, विजय भाटी उर्फ प्रिंस, सुनील, नरेश कुमार, अमित कुमार एवं विक्रम ने दिनांक 03.10.2023 को परिवादी निगम की 400 के.वी. डबल सर्किट विद्युत लाइन के तार बिना सहमति चोरी किए अथवा उक्त कथित चोरी के तारों को ले जाकर धारा 136 विद्युत अधिनियम के अन्तर्गत अपराध कारित किया। इसी प्रकार अभियुक्त सोनू उर्फ भगवानसिंह के विरुद्ध धारा 137 विद्युत अधिनियम के आवश्यक तत्व भी सन्देह से परे प्रमाणित नहीं हुए हैं। अभियोजन साक्ष्य में विद्यमान सन्देह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित है।

(21) अतः विचारणीय प्रश्न संख्या एक का निर्णय अभियुक्तगण के पक्ष में एवं अभियोजन के विरूद्ध किया जाता है।

<u>विचारणीय प्रश्न संख्या – दो</u>

(22) विचारणीय प्रश्न संख्या एक के विवेचनाधीन अभियोजन अभियुक्तगण विकास कुमार, विजय भाटी उर्फ प्रिंस, सुनील, नरेश कुमार, अमित कुमार एवं विक्रम के विरुद्ध धारा 136 विद्युत अधिनियम तथा अभियुक्त सोनू उर्फ भगवानसिंह के विरुद्ध धारा 137 विद्युत अधिनियम के आरोपित अपराध युक्तियुक्त सन्देह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तगण सन्देह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त होने के अधिकारी हैं।

–: <u>आ दे श</u> :–

(23) अतः अभियुक्त (1) सोनू उर्फ भगवानसिंह पुत्र दशरथ सिंह उम्र लगभग 20 वर्ष निवासी राजासर पुलिस थाना सरदारशहर को धारा 136 व 137 विद्युत अधिनियम के आरोप से तथा अभियुक्तगण (2) विकास कुमार पुत्र कानाराम उम्र 21 वर्ष निवासी नाहरसर पुलिस थाना सरदारशहर, (3) विजय भाटी उर्फ प्रिंस पुत्र पारस उम्र 21 वर्ष निवासी वार्ड नं. 29 तेलियों की मस्जिद के पास रतनगढ़ पीएस रतनगढ़, (4) सुनील पुत्र लीलूराम उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नं. 07 झिडू कॉलोनी तारानगर, (5) नरेश कुमार पुत्र महावीर उम्र 20 वर्ष निवासी वार्ड नं. 07 झिडू कॉलोनी तारानगर, (6) अमित कुमार पुत्र लीलूराम उम्र 25 वर्ष निवासी भामासी पुलिस थाना दुधवाखारा तथा (7) विक्रम पुत्र कृष्ण कुमार उम्र 19 वर्ष निवासी भामासी पुलिस थाना दुधवाखारा को धारा 136 विद्युत अधिनियम के आरोप से सन्देह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त किया जाता हैं।

(24) प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत मालखाना या सम्बन्धित थाना में यदि जमा हो तो उनका बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार निस्तारण किया जावे। अभियुक्तगण इस मामले में न्यायालय जमानत पर हैं जिनके न्यायालय में उपस्थिति बाबत प्रस्तुत जमानत मुचलकें निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत मुचलकें धारा 437 ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत आगामी छः माह तक अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु प्रभावी रहेंगें।

(सोनिका पुरोहित)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम मामलात)
(सत्र न्यायाधीश) चूरू (राजस्थान)

(25) निर्णय व आदेश आज दिनांक 18 अगस्त, 2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सोनिका पुरोहित)
न्यायाधीश, विशेष न्यायालय (विद्युत अधिनियम मामलात)
(सत्र न्यायाधीश) चूरू (राजस्थान)

MOHIT SHARMA
"I attest to the accuracy and authenticity of this document."
2026.08.18 16:37:42 +0530